प्रपत्र VII

आदेश-पत्र के लिए फार्मेट

(नियम 18 देखें)

चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सह विशेष उत्पाद कोर्ट-II,गोपालगंज

केस न0-कुचायकोट सिरियल न0 254/2026 राज्य बनाम

बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016

1. अभियुक्त का नाम- जितेन्द्र कु० यादव

2. उम्र 33 वर्ष

3.पिता का नाम- धर्मदेव यादव

4. पता-सा0 सरेया, थाना-कुचायकोट जिला-गोपालगंज

5.गिरफ्तारी की तिथी समय और स्थान कामपुर दिनांक 18/01/26 समय 20:02 बजे

6. पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा जॉच रिपोर्ट समर्पित करने की तिथी.

पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा समर्पित उपर उल्लिखित जॉच रिपोर्ट का अवलोकन किया। आज पुलिस/उत्पाद पदाधिकारी द्वारा उक्त अभियुक्त को प्रस्तुत किया गया है। मै एतद्द्वारा बिहार मधनिषेध और उत्पाद अधिनियम,2016 की धारा-37 के अधीन संज्ञान लेता हूँ।

अभियुक्त के विरूद्व आरोप है कि उसने दिनांक 18/01/26 को अल्कोहल का उपभोग किया था और वह कामपुर स्थान में पकड़ा गया। अभियुक्त की चिकित्सीय परीक्षा/श्वसन विश्लेषण करायी गयी जिससे सम्पुष्ट हुआ कि उसने अल्कोहल/शराब का उपभोग किया था।

उपर्युक्त आरोप अभियुक्त को पढ़कर समझाया गया। मैने उसका बयान दर्ज किया है

अभियुक्त से पूछा गया कि क्या वह दोषी होने का अभिवचन करता है। उसने दोषी होने का अभिवचन किया है। मै प्रथमदृष्ट्या संतुष्ट हूँ कि उसके विरूद्व आरोप सुआधारित है।

इसलिए अभियुक्त को बिहार मध निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा-37 के अधीन ..2000/ रूपये की राशि के भुगतान करने या उक्त जुर्माने की राशि के भुगतान में चूक होंन पर..30. दिनों के कारावास भोगने का दंडादेश दिया जाता है।

Deepak Singh Verma 19/01/26

तिथीः- 19.01.026

स्थानः-गोपालगंज

चतुर्थ अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश सह
विशेष उत्पाद कोर्ट-II,गोपालगंज।